

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पशुपालन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.वी.12(2)स्था./स-1/वरि./व.स./2018/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.07.2018 को आयोजित रिब्यू डीपीसी की अनुशंषा पर श्री रतन लाल जाटव (एससी) का दिनांक 24.06.2016 को आयोजित वर्ष 2015-16 में वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री रतन लाल जाटव (एससी) के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण तत्समय उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं करते हुए पद आरक्षित रखने का निर्णय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा लिया गया था। चूंकि अब श्री जाटव के अभिलेख उपलब्ध हो जाने के कारण वर्ष 2015-16 की डीपीसी को रिब्यू किया जाकर वर्ष 2015-16 में श्री रतन लाल जाटव (एससी) को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है।


श्री रतन लाल जाटव (एससी) का वर्ष 2015-16 की सहायक प्रशासनिक अधिकारी की चयन सूची में प्रतिस्थापन श्री अशोक कुमार सक्सेना क्रम संख्या 56 के नीचे चयन सूची में नाम अंकित किया जाता है। श्री जाटव के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

²⁰
(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक एफ.वी.12(2)स्था./स-1/वरि./व.स./2018/2554-62
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 20/7/2018

1. निजी सचिव, निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग, उदयपुर
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़
4. उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, चित्तौड़गढ़
5. सम्बन्धित कर्मचारी / कर्मचारी विभाग
6. रक्षित पंजिका / निजी पंजिका


(डॉ. महेश कटारा)
अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)